न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 15/2012 | तारीख रजू:–08.06.2012

जीसीएमएस नंबर 2012/00051

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:25 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

1. रामजीलाल पुत्र फूल्या नाथ
2. सीताराम पुत्र फूल्या नाथ
3. राजमल पुत्र फूल्या नाथ
4. सतराज पुत्र फूल्या नाथ
   समस्त निवासीयान भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

–वादीगण

बनाम

1. धूल्या पुत्र बिरधा नाथ, निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. तहसीलदार लेण्ड होल्डर, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

वकील वादीगणः– श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 :– श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

दावा बाबत् उदघोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 12.01.2026

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ उभयपक्षकारान एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा भेडोला के स्थायी निवासी है।

❖ वादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

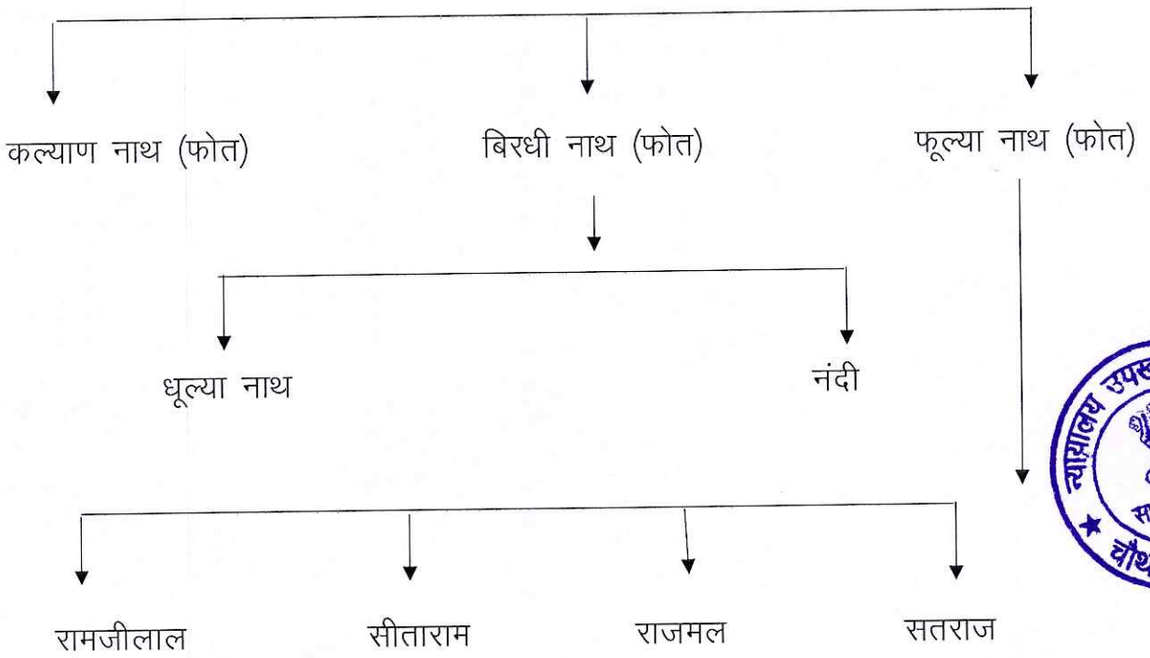

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

- उभयपक्षकारान के बुजुर्ग हीरा नाथ व छोटू नाथ, गोरू नाथ के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 613 रकबा 0.28 है0, साबिक नंबर 60, 614 रकबा 0.28 है0, साबिक नंबर 55, 56, 615 रकबा 0.72, साबिक नंबर 58, 618 रकबा 0.03 है0, साबिक 58, 619 व 621 रकबा प्रत्येक 0.30 है0, साबिक नंबर 59/1, 59/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 622 रकबा 0.52 है0, साबिक नंबर भी 59/1, 59/2 से बना है तथा खसरा नंबर 628 रकबा 0.24 है0 साबिक नंबर 61 मिन0 से बना है।
- हीरा नाथ के पुत्र छोटू नाथ की उभयपक्षकारान संतान है। इनमें गोरू नार्थ के कोई पुत्र नहीं होने से उन्होने छोटू नाथ के बड़े पुत्र कल्याण को गोद ले लिया था। इस तरह छोटू नाथ व गोरू नाथ की मद नंबर 3 में उल्लेखित आराजीयात में आधा हिस्सा गोरू नाथ के दत्तक पुत्र की हेसियत से कल्याण के हिस्से में आया तथा शेष आधे में बिरधी नाथ व वादीगण के पिता फूल्या नाथ के हिस्से में आया।
- बिरधी नाथ व फूल्या नाथ फोत हो चुके हैं, जिनमें फूल्या नाथ के वादीगण व बिरधीनाथ के धूल्या प्रतिवादी जीवित संताने हैं।
- उक्त पैतृक आराजीयात का सन् 1950 यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही बंटवारा हो गया था जिसके अनुसार छोटू नाथ के 1/2 हिस्से की भूमि पर उभयपक्षकारान काबिज काश्त रहे। तब से अब तक उसी बंटवारे अनुसार उभयपक्षकारान काश्त करते चले आ रहे हैं।
- कल्याण नाथ का हिस्सा भी इन्ही खेतों में 1/2 था तथा वह हिस्सा वादीगण व उसके पिता ही काश्त करते थे। अतः कल्याण नाथ का हिस्सा भी वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ले लिया। इस तहर विवादित आराजीयात में कल्याण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

के 1/2 हिस्से में वादीगण का नाम बतौर खातेदार व कब्जे काश्त में चली आ रही है।

❖ 70 साल पहले से ही उक्त भूमि का विभाजन हो गया था। जिसके अनुसार छोटू नाथ के 1/2 हिस्से [illegible] वादीगण के पिता फूल्या नाथ को दिया गया। उक्त हिस्सा ख[illegible] साबिक नंबर 59/1, 59/2 वर्तमान नंबर 622 रकबा 0.52 है0, तथा 628 रकबा 0.24 है0 साबिक नंबर 61 मिन0 पर है तथा तब से लेकर अब तक इसी तरह वादीगण अपने हिस्से को काश्त करते चले आ रहे हैं। गत् वर्ष वादीगण ने इसमें सरसों की फसल कशत की तथा काटी गई। वर्तमान में उक्त भूमि डोल के द्वारा शेष भूमियों से अलग मौजूद है। अगली फसल के लिये इसमें खरार गर्मी की हकाई जुताई भी वादीगण द्वारा ही की गई है।

❖ चूंकि उभयपक्षकारान जोगी नाथ जाति के हैं। पुराने समय में पिता के बाद बड़े पुत्र का नाम खाते में आ जाता था। वही वजह रही की छोटू नाथ की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण बिरधी नाथ के नाम खुल गया। चूंकि वादीगण के पिता फूल्या नाथ अशिक्षित, कमजोर व दिमाग से कमजोर व्यक्ति था। तथा उस वक्त उसके बड़े लड़के का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर अंकित किये जाने की परम्परा भी थी। अतः फूल्या नाथ को इस प्रकार के अंकन की गंभीरता का ज्ञान नहीं था।

❖ फूल्या नाथ के फोत होने के बाद वादीगण भी अपने हिस्से को दोनों आराजीयात खसरा नंबर 622 व 628 को निर्बाध रूप से काश्त करते रहे हैं, तथा इस दौरान कभी भी खेतों के रिकॉर्ड में बिरधीनाथ या उसके पुत्र का नाम अंकिन होने की बात सामने आई।

❖ अर्सा करीब 20 वर्ष पूर्व बिरधीनाथ का देहान्त हो गया। उसके बाद भी लगातार वादीगण अपने हिस्सा को निर्बाध रूप से काश्त करते रहे हैं। इस वर्ष 20 अप्रेल को सरसों की फसल करने के बाद वादीगण को पैसों की जरूरत होने पर जब उन्होने पटवारी से किसान क्रेडिट कार्ड की फाईल बनवाने की बात कही तब सबसे पहले उन्हे इस गलती का ज्ञान हुआ। इस बाबत् 25 अप्रेल को प्रतिवादी को खाता दुरूस्त करवाने की बात कही तो उसने पूरी भूमि स्वयं के बाप दादा की बताते हुए वादीगण का हिस्सा उनके नाम लगवाने से साफ इन्कार कर दिया।

❖ विवादित आराजीयात उभयपक्षकारान के बुजुर्गों की पैतृक सम्पत्ति है, जिसे वादीगण के पिता फूल्या लगातर काश्त करते रहे हैं। 2009, 2010, 2012 से 2015 व 2017 की गिरदावरी में इस आशय की प्रविष्टि आराजीयात के पैतृक होने तथा कब्जा काश्त की पुष्टि करते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:25 IST
Reason: SelfAttested

- ❖ उक्त समय का पुराना ठिकाने का रिकॉर्ड जिला अभिलेखागार, सवाई माधोपुर व चौथ का बरवाड़ा में उपलब्ध नहीं है। अतः गिरदावर की प्रविष्टि वादीगण के अधिकारों का अहम दस्तावेज है।
- ❖ टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व से ही वादीगण व उसके पिता उक्त आराजीयात पर निर्बाध रूप से आज तक काबिज हैं। इस तरह वादीगण की ओपन होस्टाईल एडवर्स पजेशन रहा रहा है। प्रतिवादी उक्त भूमि के कब्जे से आउस्ट रहे हैं। लिहाजा वादीगण के अधिकार व हिस्से के खसरा नंबर 622 व 628 रकबा 0.76 है0 भूमि से प्रतिवादी के सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं।
- ❖ विवादित आराजीयात पर वादीगण का लम्बा कब्जा रहा है। जिहाजा धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक विवादित आराजीयात की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। Alternatively by adverse possession भी वादीगण विवादित आराजीयात की खातेदारी लगाने के अधिकारी हैं।
- ❖ दिनांक 25 अप्रेल 12 को प्रतिवादी से उक्त आराजीयात का खाता हमारे नाम करवाने को कहा तो वह साफ इन्कार हो गया। खेत के पड़ोसी भंवर लाल धाभाई व हरफूल मीणा ने भी उसे काफी समझाया और उसे दुकान पर रहने को कहा तो उसने वादीगण को सहयोग करने से साफ इन्कार कर दिया तथा धमकी दी की वह उसके हिस्से की भूमि को दीगर लोगों को विक्रय करेगा। यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना आवश्यक हुआ।
- ❖ प्रतिवादी अपने नाम का खाता होने का अनुचित लाभ उठाते हुए खसरा नंबर 622 व 628 को दीगर लोगों को बेचने की फिराक में है। लिहाजा स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जाना न्यायोचित है।
- ❖ दावा वादी व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न अनुतोष के डिक्री फरमाने की कृपा करें–
  - ➢ उद्घोषणा इस आशय की फरमाये कि आराजीयात मद संख्या 03 में दर्ज वाके ग्राम भेडोला वादीगण के बुजुर्गों की भूमि हैं, तथा उस पर विगत् 70 वर्ष से काबिज होने के कारण खसरा नंबर 622 रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नंबर 628 रकबा 0.24 है0 आधे हिस्से के 1/4 हिस्से में खातेदार घोषित किया जावे।
  - ➢ Alternatively by adverse possession के आधार पर भी वादीगण को दावे के मद संख्या 03 में अंकित भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।
  - ➢ समस्त राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती किया जाकर वादीगण को बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।
  - ➢ स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की फरमाई जावे की दावे के मद संख्या 03 में अंकित आराजीयात में वादीगण के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 622 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

0.52 है0 व 628 रकबा 0.24 है0 किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी होकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. वकील प्रतिवादीगण ने अपना जवाब पेश किया है कि–

❖ विवादित छोटूनाथ के नाम ही नहीं रही है तो उसके काश्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कल्याणा नाथ का 1/2 हिस्सा वादीगण द्वारा खरीद करना स्वीकार है। तथा वादीगण का कथन आपस में विरोधाभासी है। चूंकि जब वादीगण अपने वादपत्र में बंटवारा होने का कथन करते हैं तो उन्होने क्यों विवादित आराजीयात क्रय की है। इसलिये वादीगण का कथन विरोधाभासी है।

❖ विवादित आराजीयात खसरा नंबर 55 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 56 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 58 रकबा 5 बिस्वा, 59/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 59/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 60 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 61 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 7 कुल रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम भेडोला कभी भी छोटूनाथ, हीरानाथ या गोरूनाथ के नाम नहीं रही बल्कि उक्त आराजीयात कल्याणा व प्रतिवादी के पिता बिरधा के नाम खातेदारी की रही है। इसलिये वादीगण का उक्त विवादित आराजीयात से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रहा है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा
सत्यमेव जयते

❖ सेटलमेंट के दौरान उक्त साबिक खसरा नंबरान के नये खसरा नंबरान 613, 614, 615, 618, 619, 621, 622, 623, 628 कुल कितस 9 रकबा 2.8 है0 बने हैं।

❖ वादीगण ने विवादित आराजीयात के हिस्से 1/2 को कल्याण नाथ के नाम से था को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिये जाने के कारण विवादित आराजीयात 1/2 हिस्से के वादीगण खातेदार हैं तथा शेष आधे हिस्से 1/2 कस मिन प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है।

❖ वादीगण ने अपने वादपत्र में उक्त आराजीयात का पैतृक होना व आपस में सन् 1950 में ही बंटवारा होना कथन किया है, जो कि असत्य है। चूंकि जब विवादित आराजीयात कभी भी हरनाथ, छोटूनाथ या गोरूनाथ के नाम ही नहीं रही तो बंटवारा होने का प्रश्न ही [illegible] होता। तथा यदि बंटवारा होना वादीगण मानते हैं तो [illegible] भूमि के हिस्से को क्यों कर खरीद किया है, साथ ही वर्तमान खसरा नंबर 622 व 628 पर किस प्रकार अपना कब्जा होना कथन किया है, जबकि वादीगण खसरा नंबर 622 व 628 का 1/2 हिस्सा भी खरीद लिया है। इसलिये वादीगण ने खसरा नंबर 622 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

628 पर किस प्रकार अपना कब्जा होना कथन किया है, जबकि वादीगण ने खसरा नंबर 622 व 628 का 1/2 हिस्सा भी खरीद लिया है। इसलिये वादीगण का कथन आपस में विरोधाभासी है। इसलिये दावा वादीगण खारिज योग्य है।

❖ वादीगण ने विवादित आराजीयात का खसरा गिरदावरी में फूल्या नाथ के नाम अंकन होने के कारण पैतृक मानी है, जो कि गलत है। यदि मिन प्रतिवादी के पिता ने फूल्यानाथ को किसी वर्ष साझे बांटे पर काश्त करने हेतु बता दी और उसका नाम गिरदावरी में अंकित हो गया तो इसका आशय यह हनीं है कि वह पैतृक आराजीयात हो गई। और यदि ऐसा था तो वादीगण के पिता ने अब तक क्यों कर कार्यवाही नहीं की। इसलिये वादीगण ने समस्त तथ्य मात्र कपोल कल्पित आधारों पर अंकित किये हैं। इसलिये दावा वादीगण खारिज योग्य है।

❖ यह है कि वादीगण ने अपने वादपत्र पर सजरा परिवार भी गलत अंकित किया है। वादीगण ने हीरानाथ के छोटू उफ भैरू व गोरू नाथ दो पुत्र अंकित किये हैं, जबकि हीराम के छोटूनाथ उर्फ भैरू व शंकर नाथ नाम के पुत्र थे, जिनमें शंकर नाथ के कोई औलाद नहीं थी तथा गोरू नाथ का एक अलग परिवार है। जिसका हीरानाथ के परिवार से कोई ताल्लूक नहीं है। इसलिये वादीगण को अपने परिवार की पूर्ण जानकारी नहीं है। इसलिये दावा वादीगण खारिज होने योग्य है।

❖ वादीगण का कथन यूं भी विरोधाभासी है कि वादीगण ने अपने वादपत्र से वर्तमान खसरा नंबर 622 व 628 का ही अनुतोष चाहा है, जबकि सम्पूर्ण आराजीयात पैतृक होने का कथन करते हैं, इसलिये दावा वादीगण खारिज योग्य है।

❖ वादीगण का विवादित आराजीयात के हिस्से 1/2 जो कि मुझ प्रतिवादी का है, में किसी प्रकार का कोई ताल्लूक नहीं है। इसलिये दावा वादीगण खारिज योग्य है।

❖ वादीगण का बिनाय दावा पैदा नहीं हुआ है, मात्र झूठी कहानी बताकर दावा किया है। इसलिये दावा वादीगण खारिज योग्य है।

❖ वादीगण ने यह दावा मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। चूंकि वादीगण ने विवादित आराजीयात में से कल्याण नाथ के हिस्से 1/2 खरीद किया है और खातेदारी हो चुकी है। इसलिये जब वादीगण ने विक्रय पत्र करवाया तब से उनको खातेदारी इन्द्राज का पूरा ज्ञान था और वादीगण ने बिनाय दावा झूठी कहानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

बनाकर दावा प्रस्तुत किया है। इसलिये दावा वादीगण मियाद बाहर होने कारण खारिज योग्य है।

❖ अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाने की कृपा करें।

4. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

➢ आया वादीगण वादपत्र के मद नंबर 3 में दर्ज आराजीयात में से खसरा नंबर 622 रकबा 0.52 है0 व खसरा नंबर 628 रकबा 0.24 है0 के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है ?

–वादीगण

➢ आया वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खसरा नंबर 622 व 628 के 1/4 हिस्से के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है ?

–वादीगण

➢ आया वादीगण खसरा नंबर 622 व 628 के अपने हिस्से के संबंध में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी हैं ?

–वादीगण

➢ आया दावा वादीगण मियाद बाहर है ?

–प्रतिवादी संख्या 01

➢ अनुतोष।

5. वादी वकील ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये–

- पी0डब्ल्यू0–01:– सीताराम पुत्र फूल्या नाथ, निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- पी0डब्ल्यू0–02:– राजमल पुत्र फूल्या नाथ, निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- पी0डब्लू–03:– मथुरालाल पुत्र शिवजीलाल उर्फ श्योजी मीनणा निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- पी0डब्लू–04:– भरतलाल पुत्र नारायण लाल माली, निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- पी0डब्लू–05:– बाबूलाल पुत्र किशन गोपाल बैरवा, निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–01:–जमाबंदी संवत् 2061–2064
- प्रदर्श–02:–नक्शा ट्रेस
- प्रदर्श–03:–आवेदन पत्र पुरानी जमाबंदी
- प्रदर्श–04:–मिलान क्षेत्रफल
- प्रदर्श–05:–जमाबंदी 1999–2016 तक
- प्रदर्श–06:–ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा खानदान
- प्रदर्श–07:–जमाबंदी संवत् 2034–2036
- प्रदर्श–08:–जमाबंदी संवत् 2065–2068

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

- **प्रदर्श–09**:–खसरा गिरदावरी 2009–2012
- **प्रदर्श–10**:–खसरा गिरदावरी चौसाला संवत् 2009
- **प्रदर्श–11**:–खसरा गिरदावरी [illegible] 2012 से 2015
- **प्रदर्श–12**:–खसरा गिरदावरी [illegible] 2012 से 2015
- **प्रदर्श–05**:–खसरा [illegible] 2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

6. वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने [illegible] के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक साक्ष्य पेश किये–

   ✓ <u>डी0डब्ल्यू–01</u>:– धूलीलाल उर्फ धूल्या पुत्र बिरदया नाथ, निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

7. <u>बकुलाय बहस</u> सुनी गई। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने दौराने बहस वादपत्र एवं जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

   - वकील वादीगण का कथन है कि हीरा नाथ के पुत्र छोटू नाथ की उभयपक्षकारान संतान है। इनमें गोरू नार्थ के कोई पुत्र नहीं होने से उन्होने छोटू नाथ के बड़े पुत्र कल्याण को गोद ले लिया था। इस तरह छोटू नाथ व गोरू नाथ की मद नंबर 3 में उल्लेखित आराजीयात में आधा हिस्सा गोरू नाथ के दत्तक पुत्र की हेसियत से कल्याण के हिस्से में आया तथा शेष आधे में बिरधी नाथ व वादीगण के पिता फूल्या नाथ के हिस्से में आया। बिरधी नाथ व फूल्या नाथ फोत हो चुके हैं, जिनमें फूल्या नाथ के वादीगण व बिरधीनाथ के धूल्या प्रतिवादी जीवित संताने हैं। वादीगण के उक्त कथन की पुष्टि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा खानदान **(प्रदर्श–06)** एवं खसरा गिरदावरी द्वारा होती है। इस प्रकार विवादित आराजीयात पैतृक भूमि होने की पुष्टि होती है, जिसकी ताईद स्वतंत्र गवाह **पी0डब्ल्यू–03, पी0डब्ल्यू–04** व **पी0डब्ल्यू–05** के बयानों से होती है। उभयपक्षकारान जोगी नाथ जाति के हैं। पुराने समय में पिता के बाद बड़े पुत्र का नाम खाते में आ जाता था। वही वजह रही की छोटू नाथ की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण बिरधी नाथ के नाम खुल गया, जो कि विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश किये गये गवाह ने अपने बयान में यह बताया है कि यदि विवादित आराजीयात वादीगण ने कल्याणा से क्रय की हो तो उसे इस बात का पता नहीं है। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब में भी कल्याणा नाथ का 1/2 हिस्सा वादीगण द्वारा खरीद करना स्वीकार किया है। वकील वादीगण द्वारा बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किया–

   ✓ **<u>RRD 1993 Surajmal v/s Maagi lal Page No. 432:-</u>** जयपुर स्टेट में खसरा गिरदावरी की एन्यूअल **"Annual Record of Right"** माना जाता है और जब उसमें इन्द्राज है तो उप–कृषक स्वयं अपने आप खातेदारी अधिकार प्राप्त करने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

का अधिकारी है। सहायक जिलाधीश के यहां घोषणात्मक वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उल्लेखित न्यायिक द्वष्टान्त एवं विधिक प्रावधानों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन करने पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये विधिक तर्को की पुष्टि होती है कि विवादित आराजीयात पैतृक भूमि है। दौराने बहस वादीगण के अधिवक्ता ने विवादित आराजीयात के तकासमा हेतु निवेदन किया है, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में तकासमा के लिये अनुतोष नहीं चाहा गया है। साथ ही वादीगण द्वारा वादपत्र के मद संख्या 3 में विवादित आराजीयात के 1/4 हिस्से का विवरण अंकित किया है, जबकि अनुतोष में खसरा नंबर 622 रकबा रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नंबर 628 रकबा 0.24 है0 ही अनुतोष चाहा है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:आदेश:—

वादीगण का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण को विवादित आराजीयात खसरा नंबर 622 रकबा रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नंबर 628 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर पालना से अवगत करावें। प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 622 रकबा रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नंबर 628 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। वादीगण तकासमा एवं अवशेष विवादित आराजीयात की उद्घोषणा हेतु सुसंगत धाराओं में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सवाई मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:25 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाड़ा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:25 IST
Reason: SelfAttested

1. रामजीलाल पुत्र फूल्या नाथ
2. सीताराम पुत्र फूल्या नाथ
3. राजमल पुत्र फूल्या नाथ
4. सतराज पुत्र फूल्या नाथ
समस्त निवासीयान भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

बनाम

1. धूल्या पुत्र बिरधा नाथ, निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. तहसीलदार लेण्ड होल्डर, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

नम्बर मुकदमा 15 सन् 2012

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से **श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 12.01.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** वादीगण को विवादित आराजीयात खसरा नंबर 622 रकबा रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नंबर 628 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर पालना से अवगत करावें। प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 622 रकबा रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नंबर 628 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। वादीगण तकासमा एवं अवशेष विवादित आराजीयात की उद्घोषणा हेतु सुसंगत धाराओं में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 12.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)